संख्या - 3709 /15-7-2004-16(67) 1/2004

प्रेषक,

शिव प्रकाश गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई, 2004

विषय:- भारतीय विद्या भवन पब्लिक स्कूल न्यायखण्ड-प्रथम इन्दिरापुरम, गाजियाबाद को सी०बी०एस०ई०नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्यालय की पंजीकृत संविदापत्री का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद/बेसिक शि द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

---2-

DR. ASHISH MITTAL
PRINCIPAL
Indirapuram Public School
6, Nyay Khand-I, Indirapuram,
Ghaziabad - 201012, Ph : 88820 24545

MANAGER
Indirapuram Public School
6, Nyay Khand-1, Indirapuram
Ghaziabad-201012

-2-

15. [illegible] के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय [illegible] शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य [illegible] के [illegible] कम [illegible] नहीं दी जायेगी।

16. कर्मचारियों को [illegible] और उन्हें [illegible] केन्द्रीय [illegible] विद्यालयों के कर्मचारियों की [illegible] सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

17. राज्य सरकार द्वारा [illegible] पर [illegible] [illegible] जायेंगे [illegible] लेखा [illegible] किये जायेंगे।

18. इस विद्यालय पर [illegible] [illegible] [illegible]

19. [illegible] राज्य सरकार के [illegible] के लिए कोई [illegible] नहीं किया जायेगा।

20. [illegible] की [illegible] द्वारा निर्धारित शर्तों [illegible] के अनुसार पूर्ण [illegible] करना होगा।

1- विद्यालय द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] एवं अन्य [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] लागू की [illegible]

2- विद्यालय में [illegible] लागू की जायेगी।

3- विद्यालय [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible] [illegible] के लिए अनिवार्य [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा उक्त [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] राज्य सरकार द्वारा [illegible] [illegible] का [illegible] [illegible] जायेगा।

भवदीय,

[illegible]
उप सचिव।

[illegible]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- [illegible] शिक्षा निदेशक [illegible]।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, [illegible]।
4- [illegible] केन्द्रीय [illegible] [illegible]।
5- [illegible] केन्द्रीय [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

[illegible]
उप सचिव।

MANAGER
Indirapuram Public School
6, Nyay Khand-1, Indirapuram
Ghaziabad-201012

DR. ASHISH MITTAL
PRINCIPAL
Indirapuram Public School
6, Nyay Khand I, Indirapuram,
Ghaziabad - 201012, Ph : 88820 24545
indirapuramps@gmail.com